

**Participation of private sector in.**

2061. SHRI SURESH KALMADI:  
SHRI KISHOR MEHTA;

Will the Minister of DEFENCE be I  
please^ to state;

(a) whether it is a fact that Govern-  
ment are considering any blue-print for  
the participation of private Sector in de-  
fence production; and

(b) if so, what are the details  
thereof?

THE MINISTER OF STATE IN  
THE DEPARTMENT OF DEFENCE  
PRODUCTION AND SUPPLIES IN  
THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI  
SHIVRA. T PATIL): (a) and (b) Keeping in  
view the budgetary constraints and with a  
view to optimise use of national resources,  
the policy of the Government is to  
increasingly utilise the capacities in the Civil  
Sector (public and private) and not to set  
up new capacity in the Defence Sector if  
capacities already exist or can be econo-  
mically set up in the Civil sector.

**Shifting of thorium plant from  
Bombay**

2062. S. HRI SURESH KALMADI:  
Will the PRIME MINISTER be pleased to  
state:

(a) whether it is a fact that Government  
have taken a decision to shift the thorium  
plant from Trombay, Bombay to Orissa;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether Government' have taken  
fnto consideration the plight of the

**Defence production**

labour which will become jobless if the  
plan is shifted; and

(d) if so, what' Government propose to  
do in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF SCIENCE AND  
TECHNOLOGY AND THE MINISTER  
OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF  
OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC  
ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE  
(SHRI K. R. NARAYANAN): fa}^1 Yes, Sir.

(b) The existing Plant is to be replaced as  
it has become very old and beyond the  
scope of economical repair and service. The  
Atomic Energy Commission has decided to  
shift out of BARC premises in Trombay,  
plants and laboratories which are not direct-  
ly related to the R & D programme of  
BARC.

(c) and (d) Yes, Sir, The employees who  
opt to shift to the new location will be  
transferred, whereas others will be provided  
alternative employment in other units of  
DAE located in Bombay. Those who opt to  
take retirement will be paid due compensa-  
tion.

**बंकों द्वारा अधिक व्याज लिया जाना**

2063. श्री अशोक नाथ वर्मा : क्या  
प्रधानमंत्री 25 फरवरी, 1986 को राज्य  
सभा में अतारंकित प्रश्न 118 के लिए  
दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की  
कृपा करेंगे कि :

(ख) उन छः बैंक अधिकारियों के  
नाम और पते क्या हैं जिनके विरुद्ध मुकदमा  
दायर किए जाने की अनुमति दी गई तथा  
उनके विरुद्ध मुकदमा किम तारीख को  
कहा और किम धारा के अंतर्गत दायर  
किया गया ;

(ख) ये दोषी अधिकारी किम तारीख  
को निलम्बित किए गए; और

(ग) क्या यह सच है कि बोरिंग पम्प  
मेंट घोटाने में अन्तर्गन्त अधिकारियों के  
विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है और  
यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुरोहित) : (क)से(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पटना में 3 मामले रजिस्टर किए

हैं। इन मामलों के ब्योरे और इन मामलों में अभियुक्त बैंक अधिकारियों के नाम नीचे दिए गए हैं :-

आर०सी०संख्या पंजीकरण की तारीख आदि	अभियुक्तों के नाम	चार्ज शीट दायर करने की तारीख
आर०सी 35/81-पटना दिनांक 31-7-1981 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख 418, 420, 471, 477-क और धारा 5(2) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 5(1) (ग) (घ) के अन्तर्गत	श्री बी०एन० सिन्हा श्री डी०एन० झा	31-3-1984
आर०सी 55/81-पटना दिनांक 30-12-1981 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख 418, 420, 468, 471, 477-क और धारा 5(2) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 5(1)(घ)	श्री बी०बी० राय	31-12-1984
आर०सी 40/82-पटना दिनांक 30-12-82 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख 418, 420, 467, 471, 477-क और धारा 5(2) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 5(1)(घ)	श्री एस०के० चौधरी श्री आर० ठाकुर श्री विजय कुमार	7-8-1985

उपरोक्त 6 अधिकारियों के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार, निम्नलिखित 4 अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है :-

अधिकारी का नाम	निलम्बन की तारीख	टिप्पणी
1. श्री बी० एन० सिन्हा	23-4-81	
2. श्री डी० एन० झा	23-4-81	सेवा से बर्खास्त
3. श्री बी० बी० राय	10-4-82	11-6-84 से निलम्बन आदेश रद्द कर दिया गया
4. श्री एस० के० चौधरी	22-2-83	